सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१००३ OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER Town Centre, Cidco, Aurangabad - 431003

सं./महा./भ.नि./ प्रयोज्यता / दिनांक -	
NO.MH/AB/83268/PFFAPP/CIT.55/47 Date-18/5/2009	
सेवा में,	
To, Shreeram Enterprises.	
Mihali Hog: Soc.	
Ba-14/9 Baini Namon	
Airestanda	
of our attigated of	
विषय : कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता संकेत	7
संख्या का आबंटन ।	
Sub : Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 and the scheme frame	9
there-under-applicability thereof-Allotment of code number.	
महोदय, Sir,s	
 आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दिसे. कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकीर्ण उपलब्ध 	T
अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकर	5
होता हैं कि :	
1. Your factory/ establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the	,
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme framed there under with effect from .0.1.4.3.3.2.00.9.4.2.2.8.9.3. The information made available reveals that	
with effect from . O.1. / 0.3 / 2 0.0 9)
के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लाग होता है ।	
(i) Your factory is engaged in Labour Syap Lone of the industries specified in Schedule 1 to which the Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 is applicable under Section 1 (3)	1
(a) of the Act.	
२. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा १ (३) (बी) के अधिन भारत	1
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू, किया है।	
Yours is an establishment classified as. Expenses to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification	;
issued under Section 1(3) (b) of the Act.	
 आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखीत उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (३) (बी) ने अनुसार भारत सरकार 	
द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नहीं हैं ! अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबध्द माना गया है ।	
१-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है, लेकीन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अविध के प्रलेख सत्यापित	ī
हो जाए ! 1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to	
further verification of your records for prior periods.	
(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ के स्वैच्छिक रूप से विस्तार वे	
सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं	
की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुओ भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की	t
तत्कालिक रूप से दि	ľ
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 Under Section 1(4) of the Act on a voluntary basis, a	3
code number is hereby allotted to your establishment namely MH/ABprovisionally covering your establishment with effect frompending issue of a notification by the Government of India	
in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of seciton 1 of the Employees' Provident Funds	3

and Miscellaneous Provisions Act. 1952